# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 821–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 25–02–14 पारित अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़ जिला उमरिया प्रकरण कमांक 65/12–13 अपील.

1– रामशरण पिता स्व. मवासी कोल
2– रामदास पिता स्व. मुण्डा कोल
3– मौजीलाल पिता स्व. मवासी कोल
4– फुलवियाबाई पत्नी स्व. गयादीन कोल
5– गुडडीबाई पति स्व. रमुआ कोल
6– सूरज पिता स्व. रमुआ कोल, ना.बा. जरिए बली मॉ गुड्डीबाई पति स्व. रमुआ कोल
सभी निवासी जोगिन थाना वा तहसील चदिया, जिला उमरिया, म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

1– लालू उर्फ ललुआ पिता तेजी अहीर
2– भागीरथी पिता लालू उर्फ ललुआ अहीर
3– रामकृपाल पिता लालू उर्फ ललुआ अहीर
सभी निवासी जोगिन थाना वा तहसील चदिया, जिला उमरिया, म0प्र0

---- अनावेदकगण

श्री सुनीलसिंह जादोन, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री पी0सी0 अग्रवाल, अभिभाषक– अनावेदकगण

## आदेश

(आज दिनांक 21 अगस्त, ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़ जिला उमरिया के अपील प्रकरण कमांक 65/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25–02–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, तहसील चंदिया के आदेश दिनांक 06–12–12 के विरूध्द अनावेदकगण लालू उर्फ ललुआ आदि ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 08–05–13 को संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ करने के लिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 30–04–13 को होना दर्शाया। अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर उभय पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 26–02–14 व्दारा अपील आदेश की जानकारी से समयावधि में होना मान्य किया और प्रकरण तहसीलदार, चंदिया से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचारार्थ नियत किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम जोगिन स्थित प्रश्नाधीन भूमि भदईया पिता मुण्डा कोल के हक एवं हिस्से की भूमि थी। आवेदकगण मुण्डा कोल के पुत्र भदईया, मवासी, गयादीन एवं रामदास हैं। भदईया पिता मुण्डा कोल के निसन्तान फोत होने से प्रश्नाधीन भूमि पर तहसील न्यायालय व्दारा आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर वारिस होने से नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकार बनाये जाने के आवेदनपत्र पर बिना सुनवायी किये धारा 05 के आवेदन पर आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 143 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित कारण प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयावधि में मानने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि भदइया कोल के लावल्द फोत हो जाने से तत्कालीन नायब तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 24–05–90 व्दारा प्रश्नाधीन

भमियॉ शासकीय घोषित की गयी और वर्ष 1990–91 के लिये नीलामी करायी गयी। तब से लगातार 4 वर्षों तक प्रश्नाधीन भूमियॉ तहसीलदार व्दारा नीलाम करायी गयी। प्रश्नाधीन भूमियॉ अनावेदकगण ने नीलामी में प्राप्त की है जिस पर उनके व्दारा कास्त की जाती है। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण को पक्षकार बनाये बिना भदइया कोल की मृत्यु के 60–70 वर्ष बाद आवेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण कराया गया है। आवेदकगण को तहसील के आदेश की जानकारी होने पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है तथा तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपील में पक्षकार मान्य करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा उभय पक्ष को सुनने के बाद आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसीलदार, तहसील चंदिया के प्र0क0 07/अ–6/11–12 आदेश दिनांक 06–12–12 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण रामशरण कोल आदि ने भदइयॉ कोल (फोत) एवं शासन जरिये पटवारी हल्का को अनावेदकगण बनाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक ललुआ पिता तेजी अहीर को नायब तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 14–06–91 व्दारा नीलामी में वर्ष 1990–91 में देना अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 35 पर उपलब्ध आदेश की छाया प्रति से स्पष्ट है। नायब तहसीलदार के प्र0क0 02/अ–26/92–93 की आदेश पत्रिकाओं की छाया प्रति से अनावेदक ललुवा को प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1992–93 में नीलामी में देना स्पष्ट है। ऐसी दशा में अनावेदकगण नामान्तरण प्रकरण में हितग्राही पक्षकार थे। ऐसी दशा में अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील अनावेदकगण को पक्षकार मानते हुए ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। संहिता की धारा 47 की व्दितीय परन्तुक में यह प्रावधान है कि ऐसा पक्षकार जिसके विरूध्द एकपक्षीय आदेश पारित नहीं किया गया हों, आदेश पारित किये जाने की कोई पूर्व सूचना न रही हों, वहॉ इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी। तहसीलदार व्दारा अनावेदकगण हितग्राही पक्षकार होते हुए भी

उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर दिया। ऐसी दशा में धारा 47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील जानकारी के दिनांक से समयावधि में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–02–14 यथावत रखा जाता है।

( एम0के0सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर